The Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) (Amendment) Act, 2017

Act 5 of 2018

Keyword(s):
Industrial, Employment, Orders

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018 — माघ 13, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक 1106/डी. 21/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-08-2017 को राज्यपाल एवं दिनांक 18-01-2018 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में,-

(एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "बीस से अधिक" के स्थान पर, शब्द "तीस से अधिक" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) इस अधिनियम में दी गई कोई भी बात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन "सूक्ष्म उद्योग" के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक इकाई को लागू नहीं होगी :

परंतु राज्य सरकार, किसी सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्णरूप से, वापस ले सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है.

धारा 8 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) उप-धारा (3) में, शब्द "प्रतिनिधि को भेजेगा" के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह " ।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये : और

(ख) उप-धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परंतु जहां सरकार ने मानक आदेश में कोई संशोधन किया है, वहां उसे किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम को लागू स्थायी आदेशों के प्रमाणित संशोधन में सम्यक् रूप से निगमित कर लिया गया समझा जायेगा."

धारा 17 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(एक) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) कोई नियोजक, अपने स्थायी आदेशों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्यथा उपान्तरित करता है तो वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिये एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा."

(दो) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2) कोई नियोजक, जो स्थायी आदेश के उल्लंघन में कोई कार्य करता है तो वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिये एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा."

(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में,-

(क) जुर्माने से, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा और ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गया हो, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा; और

(ख) अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिये एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा,

दण्डित किया जायेगा."

5. मूल अधिनियम की धारा 17-क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाये, अर्थात् :- नवीन धारा 17-ख का अन्तःस्थापन.

"17-ख. अपराधों का प्रशमन.- इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध (यदि कोई हो) के कारित किये जाने के दो वर्ष की कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का प्रशमन, या तो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, कर सकेगा, और प्रशमन शुल्क के रूप में ऐसी राशि, जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो, किन्तु जो अपराध के लिये जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे के कम भी नहीं होगा, जैसा कि वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा, जब कि अपराध का प्रशमन-

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व, किया जाता है तो अपराधी को अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में है, तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे अपराध के प्रशमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति होगी."

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक 1106/डी. 21/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2-2-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2018)

THE CHHATTISGARH INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) (AMENDMENT) ACT, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eigth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) (Amendment) Act, 2017.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, -

(i) in sub-section (1), in clause (a), for the words "more than twenty", the words "more than thirty" shall be substituted;

(ii) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely :-

"(3) Nothing in this Act shall apply to an establishment or industrial entity classified as "Micro Industry" under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006):

Provided that the State Government may withdraw, partially or fully, any exemption granted to any Micro Industry or category of Micro Industries, if it is satisfied that it is so required in the interest of workers."

Amendment of Section 8.

3. In Section 8 of the Principal Act,-

(a) in sub-section (3), after the word "employees", for punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(b) below sub-section (3), the following shall be added, namely :-

"Provided that where the Government has made any amendment in the Standard Order, the same shall be deemed to be duly incorporated in any award, agreement or settlement and in the certified amendment to the standing orders applicable to an undertaking."

Amendment of Section 17.

4. In Section 17 of the Principal Act,-

(i) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) Any employer modifying his standing orders otherwise than in accordance with the provisions of this Act, shall be punishable with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees, and in the case of a continuing offence with a further fine which shall not be less than

one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, for every day after the first during which the offence continues."

(ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) Any employer who does any act in contravention of standing order shall be punishable with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees, and in the case of a continuing offence with a further fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, for every day after the first during which the offence continues."

(iii) for sub-section 3, the following shall be substituted, namely :-

"(3) Whoever contravenes the provisions of this Act or of any rule made thereunder, in cases other than those falling under sub-section (2), shall be punished,-

(a) with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty-five thousand rupees, and in the event of such person being previously convicted of an offence under this Act, with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees; and

(b) in the case of a continuing offence with further fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, for every day after the first during which the offence continues."

5. After Section 17-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :- **Insertion of new Section 17-B.**

"17-B. Compounding of offences.- Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, an officer authorized by the State Government by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence committed for the first time or after expiry of a period of two years from the date of commission of the previous offence (if any), either before or after the institution of the prosecution, may impose such amount, as he may thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine but shall also not be less than half of the maximum amount of fine for the offence as compounding fee; when the offence is compounded, -

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be prosecuted and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition of an offence shall have the effect of acquittal of the accused.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.